न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 57 / 2022

अपीलांट्स –	*बनाम*	रेस्पोडेंट्स –
गोमाराम पुत्र किरताराम जाति मेघवाल निवासी आदर्श ढूण्ढा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर		1. धन्नाराम पुत्र किरताराम 2. छगनाराम पुत्र गोरखाराम 3. नेमाराम पुत्र गोरखाराम 4. मांगीलाल पुत्र गोरखाराम जाति मेघवाल निवासी आदर्श ढूण्ढा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 5. तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 09 दिनांक 15.11.2021 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

उपस्थिति :–

1. श्री सुनील बीएल रामावत, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट्स संख्या 1से4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय।
3. रेस्पोडेंट सं. 5 प्रफॉर्मा पक्षकार।

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:11:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय

दिनांक : 07.01.2025

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 09 दिनांक 15.11.2021 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा नागणेचियान ढूंढा में खेत खसरा नंबर 287, 290, 293, 294, 872 / 276 एवं मौजा आदर्श ढूढां में खेत खसरा नंबर 89, 221 कुल रकबा 159–19 बीघा भूमि के खातेदारान गोमाराम, धनाराम पि0 किरताराम, छगनाराम, नेमाराम, मांगीलाल पि0 गोरखाराम कौम मेघवाल सा0 देह खातेदारान ने दिनांक 15.11.2021 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार कृषि जोतों का आपसी सहमति से विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत आदर्श ढूण्ढा द्वारा की गई जिस पर हल्का पटवारी कवास द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चौसाला जमाबंदी एवं नक्शा में दशार्य अनुसार कृषि जोत का विभाजन प्रस्ताव सही है, मौके पर सहखातेदार विभाजन प्रस्ताव के अनुसार काबिज हैं। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक आदेश क्रमांक 09 दिनांक 15.11.2021 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.08.2022 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

3. अपीलांट की अपील में मयाद के बिन्दु पर [illegible] सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को [illegible] एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:11:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मौजा नागणेचियान ढूंढा में खेत खसरा नंबर 287, 290, 293, 294, 872/276 एवं मौजा आदर्श ढूढां में खेत खसरा नंबर 89, 221 कुल रकबा 159–19 बीघा तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर में आया हुआ है। उक्त भूमि अपीलांट एवं उतरदाता संख्या 1से4 को विरासत में प्राप्त हुई है। उतरदाता संख्या 1से4 ने वादग्रस्त संयुक्त खेतों का मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन करने तथा पूर्व में ग्राम पंचायत को आम रास्ता के लिये नरेगा योजना अन्तर्गत ग्रेवल सड़क निकालने के लिये दी गई। जिस पर सभी खातेदारों द्वारा सहमति पत्र पर ग्राम पंचायत द्वारा बनायी ग्रेवल सड़क की भूमि सभी खातेदारों के रकबे में से समान रूप से कम करते हुए शेष भूमि सभी खातेदारों के रकबे में से प्रत्येक खसरे मे पृथक–पृथक खातेदारी अंकन का प्रस्ताव प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प दिनांक 15.11.2021 ढूण्ढा में रखा। उतरदाता संख्या 1से4 ने अपीलांट को नुकसान पहुचाने व अधिकतम ग्रेवल सड़क वाली जमीन अपीलांट के हिस्से में दे दी तथा मूल खसरा नंबर 221 मौजा ढूण्ढा में सड़क पर अपीलांट को कम भूमि व उतरदाता संख्या 1से4 ने अधिक भूमि ले ली। सहमति विभाजन में कब्जे काश्त अनुसार सभी खातेदारों की रहवासी ढाणियां, टांके, बाड़े इत्यादि को सुरक्षित रखते हुये किया जाना था लेकिन पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि पहले से छपे–छपाये फोरमेट को भरकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिससे अपीलांट के टांके, बाडे, रहवासी ढाणीयां गलत विभाजन तरमीम से उतरदातागण के खेत में चली गयी है। अपीलकर्ता व उतरदातागण के मध्य जो बंटवाडा हुआ है वह कब्जे काश्त के अनुसार नहीं हुआ है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने व मौके पर भौतिक कब्जा–काश्त अनुसार नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है। लिहाजा अपीलांट की यह अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:11:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

5. अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि कुछ अर्सा पूर्व जब अपीलांट ने अपनी भूमि पर केसीसी बनवाने के लिये 18 जुलाई 2022 को ऑनलाईन जमाबंदी निकलवाई तब सड़क की भूमि का रकबा कम किये बिना सम्पूर्ण भूमि में धोखाधड़ी व चालाकी से विभाजन का संशय हुआ तब अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश की नकल मांगने पर ही उक्त विभाजन आदेश की जानकारी दिनांक 22.07.2022 को हुई। इस प्रकार प्रथम जानकारी होने की तिथि से यह अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई। उक्त अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र संलग्न कर अपील अन्दर मयाद शुमार करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया गया।

6. रेस्पोडेंट्स संख्या 1से4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

7. हमने अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन एवं मनन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा नागणेचियान ढूंढा में खेत खसरा नंबर 287, 290, 293, 294, 872/276 एवं मौजा आदर्श ढूढां में खेत खसरा नंबर 89, 221 कुल रकबा 159–19 बीघा भूमि के खातेदारान गोमाराम, धनाराम पि0 किरताराम, छगनाराम, नेमाराम, मांगीलाल पि0 गोरखाराम कौम मेघवाल सा0 देह खातेदारान ने दिनांक 15.11.2021 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार कृषि जोतों का आपसी सहमति से विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत आदर्श ढूण्ढा द्वारा की गई जिस पर हल्का पटवारी कवास द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चौसाला जमाबंदी एवं नक्शा में दशार्य अनुसार कृषि जोत का विभाजन प्रस्ताव सही है, मौके पर सहखातेदार विभाजन प्रस्ताव के अनुसार काबिज है। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक आदेश क्रमांक 09 दिनांक 15.11.2021 पारित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:11:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.08.2022 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलांट अनपढ़ ग्रामीण ने उतरदाता संख्या 1से4 व पटवार हल्का पर विश्वास कर कब्जे काश्त व सड़क की भूमि का रकबा कम कर शेष बचे रकबे मे विभाजन करने की सहमति देकर कैंम्प में ही खाली बिना रंग भरे कागजों पर हस्ताक्षर कर दिये, जबकि सड़क वाली जमीन का रकबा अधिकतम अपीलांट के खातेदारी हिस्से में रखकर बिना सड़क की भूमि का रकबा कम किये आलोच्य आदेश पारित करने में भारी विधिक त्रुटि की है। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि सहमति विभाजन में कब्जे काश्त अनुसार सभी खातेदारों की रहवासी ढाणियां, टांके, बाड़े इत्यादि को सुरक्षित रखते हुये किया जाना था लेकिन पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि पहले से छपे–छपाये फोरमेट को भरकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिससे अपीलांट के टांके, बाडे, रहवासी ढाणीयां गलत विभाजन तरमीम से उतरदातागण के खेत में चली गयी है। अपीलकर्ता व उतरदातागण के मध्य जो बंटवाडा हुआ है वह कब्जे काश्त के अनुसार नहीं हुआ है उक्त आदेश निरस्त योग्य है। अपीलांट के मुख्य कथन में प्रकट किया गया हैं कि पक्षकारान की पृथक–पृथक रहवासी टांके, बाडे, रहवासी ढाणीयां गलत विभाजन तरमीम की हुई है तथा अपीलाधीन विभाजन मौका कब्जा अनुसार नहीं होने से पक्षकारान के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। रेस्पोडेंट्स दौरान सुनवाई अनुपस्थित रहे हैं तथा अपीलांट के अभिकथनों का कोई प्रतिरक्षण नहीं किया गया हैं। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश के द्वारा खातेदारों के हिस्सों एवं कब्जा–काश्त के विपरीत अपीलाधीन विभाजन किया गया है। इस आधार पर अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश दूषित होने से अपीलांट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:11:11 IST
Reason: SelfAttested

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट्स तहसीलदार

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

बाड़मेर द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 09 दिनांक 15.11.2021 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 07.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:11:11 IST
Reason: SelfAttested